<u>जनपद.............................. में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2011 हेतु आवेदन–पत्र</u>

(आवेदन–पत्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयं साफ–साफ भरा जाय। कटिंग एवं ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार लिखी जाय। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।)

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाया जाय। हस्ताक्षर इस प्रकार से किये जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटो पर एवं आधा आवेदन पत्र पर हो।

1. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)..
2. पिता का नाम (हिन्दी में)..
3. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) तिथि ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐
4. (अ) गृह जनपद का नाम व पता (थाना सहित) ....
   ....
   (ब) पत्र व्यवहार का पता (थाना सहित) ....
   ....
5. टेलीफोन नं0 यदि हो (एस0टी0डी0 कोड सहित)–...मोबाइल नं0 यदि हो..
6. लिंग कोड– (महिला–1, पुरूष–2) ☐
7. जाति आरक्षण कोड– (सामान्य–1, अनुसूचित जाति–2, अनुसूचित जनजाति–3, अन्य पिछड़ी जाति–4) ☐
8. विशेष आरक्षण कोड–
   (विकलांग दृष्टिबाधित–5, विकलांग श्रवणहृास–6, विकलांग चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता–7, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित–8, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)–9) ☐
   (लागू न होने पर खाने में 'X' का निशान बना दिया जाय)
9. विषय वर्ग – (कला–10, विज्ञान–11) ☐
10. अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता का विवरण–

परीक्षा	बोर्ड एवं कॉलेज/वि0वि0	वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक
हाईस्कूल					
इण्टरमीडिएट					
स्नातक (भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण)					

11. शिक्षा मित्र श्रेणी में अभ्यर्थन की स्थिति में कोड–12 *(लागू न होने पर खाने में 'X' का निशान बना दिया जाय।)* ☐

12. बैंक ड्राफ्ट का विवरण :–

बैंक एवं शाखा का नाम	बैंक ड्राफ्ट नं0 तथा दिनांक	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि

13. संलग्नकों का विवरण :–

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....

<u>घोषणा</u>

मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। आवेदन पत्र में बने सम्बन्धित बॉक्स में मेरे द्वारा भरे गये कोड/सूचना का ही लाभ मुझे दिया जाय। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर संबंधित संस्थान/प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन–पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाणपत्र/अंकपत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण भरा होने तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के दिनांक के बाद का कोई भी प्रमाण पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करने तथा/विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा न करने/चयन/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाय तथा मेरे विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जाय।

दिनांक – .... पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पठनीय हस्ताक्षर

<u>निम्नांकित विवरण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भरा जायेगा</u>

1. डाकघर का रजिस्ट्री क्रमांक– .... तिथि ....
2. आवंटित कन्ट्रोल नं0 – ☐☐☐☐☐☐☐

अभ्यर्थी के विवरण का संलग्नकों से मिलान किया गया तथा सही पाया गया।

जांचकर्ता का नाम सहित हस्ताक्षर/मुहर

<u>बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2011 में आवेदन हेतु विज्ञप्ति</u>

शासनादेश संख्या–1456/15–11–2011–908/11 दिनांक 01.09.2011 के अनुपालन में शासकीय संस्थानों, जिनमें एन0सी0टी0ई0 द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु सीटों की मान्यता दी गयी है तथा ऐसी निजी संस्थानों, जिन्हें एन0सी0टी0ई0 की मान्यता के उपरान्त प्रदेश शासन द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है, में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2011 में चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप पर **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट** से केवल अपने निवास के जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को इस प्रकार भेजे कि उनका आवेदन पत्र **निर्धारित तिथि 24.9.2011** तक उनके निवास के **जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान** को प्राप्त हो जाय। डाकघर के विलम्ब अथवा किसी अन्य कारण से उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. **शैक्षिक योग्यता –** बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे, जो उसी जनपद के निवासी हों, जहां प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहें हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम0 परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।
2. एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु आवंटित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें शिक्षा मित्रों के लिये निर्धारित होंगी। शिक्षा मित्र के रूप में आवेदन करने हेतु उपर्युक्त बिन्दु–1 ''शैक्षिक योग्यता'' में उल्लिखित के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी ऐसे कार्यरत शिक्षामित्र अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होने कम से कम तीन शैक्षिक सत्र तक नियमित रूप से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य किया हो तथा अद्यतन कार्यरत हों। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय के अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
3. **प्रशिक्षण हेतु आवेदन**–बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी अपने निवास के जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन करेंगे। सम्बन्धित जनपद का निवास प्रमाण पत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। उ0प्र0 के उन जनपदों, जहां स्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु सीटों की मान्यता प्राप्त नहीं है अथवा नवसृजित जनपदों, जहां डायट की स्थापना नहीं हो सकी है, उनमें रहने वाले अभ्यर्थी अपने निवास से सम्बन्धित उस जनपद में आवेदन पत्र भेज सकेंगे, जिस अविभाजित पूर्व/मूल जनपद का वह हिस्सा है। इस प्रकार आवेदकों की सुविधा हेतु निम्नवत् कॉलम–1 में उल्लिखित जनपद के निवासी कॉलम–2 में उल्लिखित जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में आवेदन कर सकते हैं।

<u>कॉलम–1</u>	<u>कॉलम–2</u>
जे0पी0 नगर	डायट, कांठ–मुरादाबाद
कांशीरामनगर	डायट, हरचन्दपुरकला–एटा
फर्रूखाबाद	डायट, छिबरामऊ–कन्नौज
चन्दौली	डायट, सारनाथ–वाराणसी
संतकबीरनगर	डायट, प्लास्टिक कॉम्पलेक्स–बस्ती
अम्बेडकरनगर	डायट, फैजाबाद
बलरामपुर	डायट, दजीकूआँ–गोण्डा
श्रावस्ती	डायट, पयागपुर–बहराइच
हमीरपुर	डायट, चरखारी–महोबा
छत्रपति शाहूजी महाराजनगर	सुल्तानपुर

कॉलम–1 में उल्लिखित जनपद के अभ्यर्थियों को चयन के उपरान्त कॉलम–1 में उल्लिखित जनपद का ही निवास प्रमाण पत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। कॉलम–1 के अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट कॉलम–2 में उल्लिखित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के पदनाम से, जो कॉलम–2 के जनपद में देय हो, संलग्न करना होगा।

4. **आयु सीमा–** आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2011 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों हेतु आयु सीमा में शिथिलता शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

5. **अधिवास**– अभ्यर्थी केवल अपने निवास के जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में ही आवेदन कर सकते हैं। सम्बन्धित जनपद का निवास प्रमाण पत्र चयन के उपरान्त प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

6. **आरक्षण**– अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण व्यवस्था की जायेगी।

7. **चयन का मानदण्ड** – प्रकाशित आवेदन–पत्र के क्रमांक 10 में अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडियट एवं स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के कुल योग के आधार पर आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए 50 प्रतिशत महिला एवं 50 प्रतिशत पुरूष तथा उसमें भी 50 प्रतिशत कला तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। श्रेष्ठता सूची एन0सी0टी0ई द्वारा शासकीय संस्थानों तथा ऐसी निजी संस्थानों, जिन्हें एन0सी0टी0ई0 की मान्यता के उपरान्त प्रदेश शासन द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है, में एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीटों के प्रति तैयार की जायेगी। बी0एस0सी0, बी0एस0सी0(एजी0) अथवा बी0एस0सी0(गृह विज्ञान) से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी माने जायेंगे, यदि उन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा भी विज्ञान/कृषि वर्ग से उत्तीर्ण की हो। बी0कॉम0 अर्हताधारी अभ्यर्थियों को कला वर्ग में रखा जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित अंकों का ही गुणांक निर्धारण में उपयोग किया जायेगा। इनमें बाद में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा।

8. **आवेदन शुल्क**– आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये रू. 200/– तथा अन्य अभ्यथियों के लिए रू 400/– होगा। उक्त शुल्क **प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जनपद ....** के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, के रूप में आवेदित जनपद के लिए देय होगा। निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न न होने की स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा। विकलांगजनों से कोई आवेदन शुल्क नही लिया जायेगा।

9. **गुणांक का आगणन**– हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत का योग करते हुये गुणांक आगणित किया जायेगा।

10. **चयन समिति**–चयन से संबंधित समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी। चयन के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

11. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

(i) आवेदन पत्र **पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से** अन्तिम **निर्धारित तिथि 24.9.2011** तक अभ्यर्थी के निवास के जनपद के **जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान** में प्राप्त होना अनिवार्य है।

(ii) एक अभ्यर्थी द्वारा **एक ही आवेदन पत्र** अपने निवास के जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में दिया जायेगा। एक से अधिक जनपदों में आवेदन की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेगें। **एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र** भेजा जाए। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन–पत्र होने पर समस्त आवेदन–पत्र निरस्त माने जायेंगे।

(iii) लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से **''बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2011''** अनिवार्यतः अंकित किया जाय।

(iv) **आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ए–4 साइज के कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य है।** आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट **www.scertup.org से डाउनलोड किया जा सकता है। अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित/स्वहस्ताक्षरित फोटोरहित/साधारण डाक से प्राप्त/निर्धारित प्रारूप से भिन्न आवेदन–पत्र तथा निर्धारित शुल्क के बैंक ड्राफ्ट रहित आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।**

(v) आवेदन पत्र के क्रमांक 6–लिंग कोड, क्रमांक 7–जाति आरक्षण कोड, क्रमांक 8–विशेष आरक्षण कोड, क्रमांक 9–विषय वर्ग तथा क्रमांक 11–शिक्षामित्र श्रेणी में अभ्यर्थन की स्थिति के सम्मुख बने बाक्स में संबंधित कोड का उल्लेख करें। जो सूचना अभ्यर्थी से **सम्बन्धित न हो उसे काटते हुए "X"** चिन्ह अंकित किया जाए। संबधित बाक्स में कोड अंकित न किये जाने पर अथवा कोड के स्थान पर टिक करने या अन्य कोई निशान अंकित करने पर जाति अथवा विशेष आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा जो कोड भरा जायेगा, उसी कोड का अभ्यर्थी को लाभ दिया जायेगा। संलग्नकों का विवरण में संलग्न किये जाने वाले अंकपत्र/प्रमाण पत्रों का विवरण भरा जाय तथा सम्बन्धित अंकपत्र/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं निर्धारित शुल्क का बैंकड्राफ्ट मूलरूप में संलग्न किया जाये। आवेदन पत्र के साथ प्रेषित संलग्नकों और आवेदन पत्र में भरे गये विवरण में अन्तर/मिसमैच होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(vi) आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपनी हाल में खींची हुई **स्वच्छ स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करनी अनिवार्य है।**

(viii) आवेदनकर्ताओं को यह भी घोषणा आवेदन पत्र में करनी होगी कि जो विवरण उन्होंने आवेदन पत्र में अंकित किये हैं, उनसे सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र आवेदन करने की तिथि के

पूर्व उनके पास उपलब्ध हैं। **आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत प्रमाण पत्र/अंक पत्र मान्य नहीं होंगे।**

(ix) आवेदन पत्र में अंकित घोषणा के अनुसार जांच के समय अभिलेख सत्य पाये जाने पर ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। **कोई भी अभिलेख/सूचना असत्य पाये जाने अथवा प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा** एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(x) विशिष्ट आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाणपत्र आदि निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा।

(xi) **विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन अमान्य होगा।** उक्त स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा। **आवेदन–पत्र में उल्लिखित सूचनाएं ही चयन का आधार हैं। बाद में इनमें कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। अतः सभी सूचनाएं निर्धारित स्थान पर स्वच्छता से स्पष्ट अंकित की जायें। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कटिंग/ओवराइटिंग मान्य नहीं होगी।**

(xii) सम्बन्धित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित आवेदन पत्र, आवेदन–पत्र प्रेषण की रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट की रसीद एवं संलग्न बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति अग्रेतर पत्र व्यवहार हेतु आवेदक द्वारा अनिवार्यतः अपने पास सुरक्षित रखी जाय।

सदस्य सचिव, जनपदीय चयन समिति एवं प्राचार्य
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।

आवेदन पत्र का प्रारूप
(प्रारूप ए–4 साइज के पेपर पर वेबसाइट **www.scertup.org** से डाउन लोड किया जा सकता है।)